Date
14 Apr 2020

B.Ed-I

Sub - Philosophical & Sociological perspectives of Education.

संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराएं ⇒

* **धारा-28-1** - राज्य नीति से पूर्णत: पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

* **धारा-29-1** - भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग पर रहने वाले समूह को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो उसे बनाये रखने का पूर्ण अधिकार है।

* **धारा-29-2** - राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा।

* **धारा-30-1** - सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार होगा।

* **धारा-30-2** - शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह शिक्षा संस्था किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित की जा रही है।

Scanned with CamScanner

* **धारा - 41** - राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सहायता प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावशाली प्रावधान करेगा।

* **धारा - 45** - राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

* **धारा - 46** - राज्य जनता के निर्बल वर्गों विशेषतः SC, ST के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।

* **धारा - 343** - संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

* **धारा - 350-अ** - प्रत्येक राज्य में और राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करेगा।

Scanned with CamScanner